and outdated Act. Sir, if you look to Sec. 2 of this Act it says :

"No person shall convert a residential building into a non-residential building except with the permission in writing of the Controller."

On the one side you have put certain amendments here. You say that you cannot convert that building unless you submit an application to the Controller. You have made certain amendments to Sec.2. Sec. 2(d) says :

"Non-residential building" means a building being used solely for the purpose of business or trade."....

MR. DEPUTY SPEAKER : Mr. Daga, you can continue after lunch.

13.02 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at nine minutes, past Fourteen of the Clock.

[SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI *in the Chair*]

ARREST OF MEMBER

MR. CHAIRMAN : I have to inform the House that the Speaker has received the following wireless message dated 5 August, 1982, from the Senior Superintendent of Police, Amritsar (Punjab), today :—

"Shri L. S. Tur, Member of Lok Sabha has been arrested on 5-8-1982 under section 107/151 Cr. P.C. at 8 P.M. He has been sent to Central Jail, Ferozepur."

14.10 hrs.

EAST PUNJAB URBAN RENT RESTRICTION (CHANDIGARH AMENDMENT) BILL *Contd.*

श्री मूल चन्द डागा : सभापति जी, "ईस्ट पंजाब" की जगह पर "पंजाब" रखने का अमेन्डमेन्ट अब लाया गया है। यह अमेन्डमेन्ट तो बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। बहरहाल यह अमेन्डमेन्ट लाने के लिए मैं मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूँ। अब न तो ईस्ट रहेगा, न वेस्ट रहेगा, केवल पंजाब रहेगा।

मैं मन्त्री जी से एक बात जानना चाहूंगा कि चण्डीगढ़ में कन्ट्रोलर के द्वारा ऐसे कितने आर्डर हुए हैं जिनमें ऐसे मकान खाली कराए जायेंगे और जिसकी वजह से आपको यह बिल यहां पर लाना पड़ा है? मैंने चण्डीगढ़ देखा है। वहां पर नीचे तो दुकानें हैं और ऊपर लोग रहते हैं लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका मकान कहीं और बना हुआ है और वह वहां पर केवल व्यापार ही करता है और ऊपर रहने की जगह किराए पर दे रखी है तो उस हालत में वह नान-रेजिडेंशल पर्पज में आ जायेगा। आपने इसमें कहा है कि एक टेनेन्सी होगी, एक व्यक्ति जिसकी नीचे दुकान है और ऊपर जो रहता है उससे वह खाली नहीं कराया जायेगा। आपने यह अच्छा किया है। आजकल मकान मिलते नहीं हैं लेकिन यह 1949 का जो एक्ट है इसके सारे सेक्शन्स में ही परिवर्तन करने की आवश्यकता है जबकि आप केवल एक छोटा सा संशोधन ही लेकर आए हैं।

आज जैसा कि आप जानते हैं, मकानों की कीमत सैकड़ों गुना बढ़ गई है। दिल्ली में 35 रुपए प्रति स्क्वायर यार्ड वाली